भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतांकित प्रश्न सं. 910

जिसका उत्तर 07.12.2023 को दिया जाना है

भारत में 2022 में सड़क दुर्घटनाएं

910. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ.डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सु. थिरुनवुक्करासर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'देश में सड़क दुर्घटनाएं-2022' शीर्षक वाली वार्षिक प्रतिवेदन जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कैलण्डर वर्ष 2022के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए कोई व्यापक उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एआई कैमरे लगाने और इसके समुचित कार्यान्वयन की पहल की है; और

(ड.) सड़क सुरक्षा, सवारों की सुरक्षा और जन जागरुकता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) मंत्रालय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सालाना "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" प्रकाशित करता है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2022 मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

की गई है और मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,61,312 दर्ज की गई । वर्ष 2020 और 2021 कोविड-19 महामारी से प्रभावित रहे।

भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट, 2022 देश में सड़क दुर्घटनाओं पर निम्नलिखित डेटा देती है:

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या
2001	4,05,637
2002	4,07,497
2003	4,06,726
2004	4,29,910
2005	4,39,255
2006	4,60,920
2007	4,79,216
2008	4,84,704
2009	4,86,384
2010	4,99,628
2011	4,97,686
2012	4,90,383
2013	4,86,476
2014	4,89,400
2015	5,05,770
2016	4,84,756
2017	4,69,242
2018	4,70,403
2019	4,56,959
2020*	3,72,181
2021*	4,12,432
2022	4,61,312

* *कोविड प्रभावित वर्ष*

पिछले तीन (2020-2022) वर्षों के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और घायल व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है: -

(1) शिक्षा:

i. मंत्रालय,सड़क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर विभिन्न प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान चलाता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा प्रचार करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने कीएक योजना लागू की है।
ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।
iii. मंत्रालय के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता स्तर या इसकेसमकक्ष तक के तकनीकी अधिकारियों के लिए सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक प्रमाणन पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है।
iv. मंत्रालय, ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरेदेश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू कर रहा है।

(2) इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग:

i. सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।
ii. सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि मेंतीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) करवानाअनिवार्य कर दिया गया है।
iii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।
iv. आरएसए, ब्लैकस्पॉट्स ठीक करने और सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों को देखने के लिए मंत्रालय के अंतर्गतसड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को नियुक्त किया गया है।
v. मंत्रालय के तहत आदर्श सुरक्षित सड़कों के रूप में विकसित करने के लिए रारा के 130 खंडों की पहचान की गई है।
vi. मंत्रालय के तहत आदर्श सुरक्षित सड़कों के रूप में विकसित करने के लिए रारा के 85 परियोजना खंडों की पहचान की गई है।

vii. पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनके प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।

viii. मंत्रालय और आईआरसी ने विभिन्न सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कोड और दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

ix. मंत्रालय ने दिनांक 20.07.2023 के पत्र के माध्यम से चालकों के लिए बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के सर्वोत्तम तरीकों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शामिल करके एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश चालकोंको स्पष्ट और संक्षिप्त मार्गदर्शन, चेतावनियां, नोटिस और नियामक जानकारी प्रदान करने के लिए तैयारकिए गए हैं, जिससे सड़कों पर निर्बाध और सुरक्षित यात्रा में मदद मिल सके।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

मंत्रालय ने वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान कोअधिसूचित किया है।

ii. मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम सेमोटर साइकिल पर सवारी करने या ले जाने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, इसमें एक सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित किया गया है।

iii. मंत्रालय ने 01 जुलाई 2019 से निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के अनिवार्य रूप से लगाए जाने को अधिसूचित किया है।

एम 1श्रेणी के वाहनों के लिए:

- चालक और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- ओवर स्पीडिंग चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. मंत्रालय ने एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा

व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) अधिदेशित किया है।

v. मंत्रालय ने आगे से टक्कर की स्थिति में सवारी की सुरक्षा, आमने-सामने से टक्कर की स्थिति मेंवाहन के स्टीयरिंग पर नियंत्रण की आवश्यकताओं,पीछे से टक्कर की स्थिति में सवारी की सुरक्षा के लिए और मोटर वाहन से टक्कर की स्थिति में पैदल चलने वालों और अन्य असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में वाहनों के अनुमोदन को अनिवार्य कर दिया है।

vi. मंत्रालय ने दो पहिया, तीन पहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रण फंक्शन/ गति नियंत्रण डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।

vii. मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2019 को और उसके बाद विनिर्मित पूरी तरह से निर्मित बसों (चालक को छोड़कर 22 यात्रियों या उससे अधिक के बैठने की क्षमता वाली) में आग का पता लगाने, अलार्म और दमन प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुपालन को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, 01 अक्टूबर, 2023 से एम3 श्रेणी की टाइप III बसों और स्कूल बसों में सवारी के कंर्पामेंट में फायर अलार्म और सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन भी अनिवार्य किया गया है।

viii. मंत्रालय ने एक प्रपत्र निर्धारित किया है, जिसमें वाहन निर्माता मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सड़क योग्यता प्रमाणन जारी करते हैं।

ix. मंत्रालय ने अधिसूचना सा.का.नि. 652(अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 और इसमें संशोधन की अधिसूचना सा.का.नि. 797(अ),31 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए हैं। ये नियम स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। ये नियम 25 सितंबर,2021 से लागू हैं।

x. मंत्रालय ने अधिसूचना सा.का.नि. 653 (अ),दिनांक 23 सितंबर,2021 और सा.का.नि. 695 (अ),दिनांक 13 सितंबर,2022 द्वाराइसके संशोधन के माध्यम से पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केंद्रका पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 प्रकाशित की है। ये नियम आरवीएसएफ के लिए ऐसे केंद्रों की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

xi. मंत्रालय ने प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है।

xii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की एकयोजना है।

xiii. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली), 1989 में एक नया नियम 126ई दिनांक 27 सितंबर, 2023 के सा.का.नि.

698 (अ) के माध्यम से जोड़ा गया है जो यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा का परिचय देता है और उपभोक्ता सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।

(3) प्रवर्तन:

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यातायात नियमों काअनुपालन सुनिश्चित करने और इनके उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान किया गया है।

ii. मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए अधिसूचना सा.का.नि.575(अ), दिनांक 11 अगस्त, 2021 जारी की है। इन नियमों में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों (स्पीड कैमरा, क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), वेट इन मशीन (डब्ल्यूआईएम) और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य तकनीक) को लगाने के विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

(4) आपातकालीन सेवा:

I. मंत्रालय नेऐसेगुड समारिटन्स की सुरक्षा के लिए सा.का.नि. 594 (अ)**,** दिनांक 29.09.2020 के माध्यम से नियमप्रकाशित किए हैं**,** जो भलाई की मंशा से स्वेच्छा से तथाबिना किसी इनाम या मुआवजे की उम्मीद के दुर्घटना के समय पीड़ित कीआपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सीय देखभाल करतेया सहायता करते हैंया ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं।

II. मंत्रालय ने दिनांक 25 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ा दिया है (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये)।

III. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर के टोल प्लाजाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है।

(घ) मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 136ए के तहत प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय ने सा.का.नि. 575(अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021 के माध्यम से सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम अधिसूचित किया है।नियम में प्रावधान है कि स्थान, तारीख और समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण के फुटेज का उपयोग निर्धारित गति सीमा के भीतर गाड़ी न चलाने, सुरक्षात्मक हेडगियर या हेलमेट नहीं पहनने, लाल बत्ती पार करने, स्टॉप साइन का उल्लंघन करना, गाड़ी चलाते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग करना, कानून के विपरीत तरीके से अन्य वाहनों को पार करना या ओवरटेक करना, यातायात के अधिकृत प्रवाह के खिलाफ गाड़ी चलाना आदि जैसे अपराधों के लिए चालान जारी करने के लिए किया जा सकता है।

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवरण (15 मार्च, 2023 तक) अनुबंध- II में संलग्न है।

अनुबंध- I

"भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022" के संबंध में श्रीमती सुप्रिया सुले और अन्य द्वारादिनांक 7 दिसंबर, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 910के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सड़क दुर्घटनाएं			घातक परिणाम			चोट लगने की घटनाएं		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	19509	21556	21249	7039	8186	8293	19675	21040	21340
2	अरुणाचल प्रदेश	134	283	227	73	157	148	185	347	186
3	असम	6595	7411	7023	2629	3036	2994	5269	5763	5637
4	बिहार	8639	9553	10801	6699	7660	8898	7016	7946	7068
5	छत्तीसगढ	11656	12375	13279	4606	5371	5834	10505	10683	11695
6	गोवा	2375	2849	3011	223	226	271	880	843	1091
7	गुजरात	13398	15186	15751	6170	7452	7618	12002	13690	15089
8	हरियाणा	9431	9933	10429	4507	4706	4915	7659	8121	8519
9	हिमाचल प्रदेश	2239	2404	2597	893	1052	1032	3223	3454	4063
10	झारखंड	4405	4728	5175	3044	3513	3898	3295	3227	3747
11	कर्नाटक	34178	34647	39762	9760	10038	11702	39492	40754	48154
12	केरल	27877	33296	43910	2979	3429	4317	30510	36775	49307
13	मध्य प्रदेश	45266	48877	54432	11141	12057	13427	46456	48956	55168
14	महाराष्ट्र	24971	29477	33383	11569	13528	15224	19914	23071	27239
15	मणिपुर	432	366	508	127	110	127	663	504	817
16	मेघालय	214	245	246	144	187	162	220	263	310
17	मिजोरम	53	69	133	42	56	113	68	65	107
18	नगालैंड	500	746	489	53	55	73	286	380	291
19	ओडिशा	9817	10983	11663	4738	5081	5467	8822	9782	10302
20	पंजाब	5203	5871	6138	3898	4589	4756	2904	3072	3324
21	राजस्थान	19114	20951	23614	9250	10043	11104	16769	19344	22293
22	सिक्किम	138	155	211	47	56	92	218	244	354
23	तमिलनाडु	49844	55682	64105	14527	15384	17884	47618	55996	67703
24	तेलंगाना	19172	21315	21619	6882	7557	7559	18661	20107	20209
25	त्रिपुरा	466	479	575	192	194	241	470	547	541
26	उत्तराखंड	1041	1405	1674	674	820	1042	854	1091	1613
27	उत्तर प्रदेश	34243	37729	41746	19149	21227	22595	22410	24897	28541
28	पश्चिम बंगाल	10863	11937	13686	5128	5800	6002	9715	10454	12843
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	141	115	141	14	20	19	145	97	136
30	चंडीगढ़	159	208	237	53	96	83	148	172	203

31	दादर और नगर हवेली	100	140	196	64	76	90	119	171	273
32	दमन और दीव	$	$	$	$	$	$	$	$	$
33	दिल्ली	4178	4720	5652	1196	1239	1461	3662	4273	5201
34	जम्मू एवं कश्मीर	4860	5452	6092	728	774	805	5894	6972	8372
35	लद्दाख	ना	236	374	ना	56	62	ना	242	346
36	लक्षद्वीप	1	4	3	0	1	2	1	6	2
37	पुदुचेरी	969	1049	1181	145	140	181	1019	1099	1282
कुल		**372181**	**412432**	**461312**	138383	153972	168491	**346747**	**384448**	**443366**

टिप्पणी $: दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली के आंकड़ें प्राप्त हो गए हैं क्योंकि **20** जनवरी**, 2020** को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया था**,** जिन्हें दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के नाम से जाना जाएगा।

अनुबंध-II

"भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022" के संबंध में श्रीमती सुप्रिया सुले और अन्य द्वारादिनांक 7 दिसंबर, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 910 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मार्च, 2023 तक कुछ राज्यों के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति :-

उपकरण	दिल्ली	कर्नाटक	महाराष्ट्र	प.बंगाल	राजस्थान	मध्य प्रदेश	गुजरात	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश
स्पीड कैमरा	66 स्थानों पर 125[1]	55	6[2]	60 स्थानों पर 106	33	358	-	104 स्थानों पर[3]	77	
सीसीटीवी	-	2937		2488	575	2354	12263	-	12535	
स्पीड गन	110	26	70[4]	212	98	42	347[5]	75	198	222[6]
बॉडी विएरेबल कैमरा	509[7] (पुलिस) 60 (परिवहन)	5736	-	4869	811	-	9952	360	798	2577
डैश्बॉर्ड कैमरा	-	21	-	70	97	-	90	-	4	186
एएनपीआर	-	508	-	181	2	2596	3343	-	3289	
आरएलडीवी	43 जंक्शन पर 209	88	-	-	-	-	-	-		
वे इन मशीन	3[9]	430			198	535		-	-	

[1] ओवर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन (ओएसवीडी) कैमरे

[2] उपलब्ध कराए गए डेटा में केवल मुंबई-पुणे खंड को शामिल किया गया है

[3] इंटेलिजेंट एन्फोर्समेंट मैनेजमेंट सिस्टम (एएनपीआर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन और सीसीटीवी कैमरा) 104 स्थानों पर लागू किया गया है।

[4] इंटरसेप्टर वाहन

[5] 347 में से 90 इंटरसेप्टर वाहन हैं

[6] 17 इंटरसेप्टर शामिल

[7] अन्य 551 - काम करने की स्थिति में नहीं

[8] रेड लाइट उल्लंघन जांच (आरएलवीडी)

[9] ओवरलोडेड वाहनों के वेट के लिए ज़ब्त करने वाले गड्ढों पर वे ब्रिज स्थापित किए गए थे।

*****